न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :–

मणीलाल तीरगर

प्रकरण सख्याः– 07 / 19

निर्णय दिनांकः–10.07.2019

1 श्री कावा पिता गौतमा ताबियाड जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी पाटीया तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

2 श्री लक्ष्मण पिता गौतमा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी पाटीया तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1 श्री गौतम पिता वागा मईडा जाति मीणा निवासी धनोरा तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

2 श्री गिरीश पिता गौतम मईडा जाति मीणा निवासी धनोरा तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

3 श्री दिनेश पिता गोतमा मईडा जाति मीणा निवासी धनोरा तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

4 श्री मोहन पिता वागा मईडा जाति मीणा निवासी धनोरा तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

5 श्री कानजी पिता मोहन मईडा जाति मीणा निवासी धनोरा तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

6 श्री बापु पिता मोहन मईडा जाति मीणा निवासी धनोरा तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

7 श्री लक्ष्मण पिता हुरजी मईडा जाति मीणा निवासी धनोरा तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

8 श्री गटू पिता हुरजी मईडा जाति मीणा निवासी धोधरा तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

9 श्री रमण पिता हुरजी मईडा जाति मीणा निवासी धनोरा तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

10 श्री कावा पिता हुरजी मईडा जाति मीणा निवासी धनोरा तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

11 श्री शंभु पिता हुरजी मईडा जाति मीणा निवासी धनोरा तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

12 श्री शंकर पिता हुरजी मईडा जाति मीणा निवासी धनोरा तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

13 श्री मोहन पिता लाडजी मईडा जाति मीणा निवासी धनोरा तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

14 श्री लाडजी पिता भुरा मईडा जाति मीणा निवासी धनोरा तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

15 श्री हलु पिता भुरा मईडा जाति मीणा निवासी धनोरा तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

कमशः पेज 2 पर

Scanned by CamScanner

16 श्री हुरजी पिता मईडा मईडा जाति मीणा निवासी धनोरा तहसील चीखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

17 श्री मान भुमिधारी लेण्ड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील चीखली जिला डुगंरपूर राज.।

प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, व 209 रा.टी. एक्ट, सपठित धारा 151 व 212 जा.दी

उपस्थित :– श्री गौतमलाल रोत वादीगण की ओर से

एकपक्षीय बहस सुनी गई

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीगण द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण गांव पाटीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 16 गांव धनोरा के स्थायी निवासी है। वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भुमि मौजा पाटीया में स्थित हाल जमाबंदी खाता संख्या 75 खसरा नम्बर 29 खेत किता 1 कुल रकबा 01.04, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.11 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.15 बीघा भुमि होकर स्थित है पर बंटवारे के अनुसार हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण अपने कब्जे की विरासती खातेदारी आराजी में फसल बुवाई कर खेती बाडी का कार्य कर रहे थे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 ने जबरन प्रवेश कर झंगडा फिसाद कर फसल को नष्ट कर दिया। जबरन वादीगण के कब्जे की भुमि पर टापरा बना दिया जिस पर वादीगण फौजदारी कार्यवाही कर हटवाया। उसके बावजुद प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 वादीगण के कब्जे काश्त की कॉलम संख्या 2 में अंकित आराजी में जबरन घुसकर हडपने की नियत से मकान निर्माण को लेकर सामग्री डालकर मकान निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जिस पर वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण संख्सा 1 से 16 ने जबरन विवाद उत्पन्न झंगडा फंसाद शुरू कर दिया। वादीगण उक्त आराजी विरासती आराजी होकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम वारिसदार होने दर्ज होने की बात करने पर भी प्रतिवादीगण 1 से 16 की निती में खोट आने से जबरन हडपने की धमकी देने लगे जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादीगण को विरासती भुमि मौजा पाटीया में स्थित हाल जमाबंदी खाता संख्या 75 खसरा नम्बर 29 खेत किता 1 कुल रकबा 01.04, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.11 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.15 बीघा भुमि में वादीगण को काश्त करने में रूकावट पैदा न तो स्वयं करने न ही अपने मित्र एजेण्ट से करावे।

इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 16 न्यायालय जरीए अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादीगण की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने दिनांक 01.04.2019 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

क्रमशः पेज 3 पर

Scanned by CamScanner

पत्रावली वास्ते साक्ष्य रखी गई।

वादीगण ने अपने समर्थन में निम्नलिखित मौखिक, लिखित दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

1 पीडब्लयु–1– श्री कावा पिता गोतमा जाति मीणा निवासी पाटीया

2 पीडब्लयु–2– श्री लक्ष्मण पिता गौतमा जाति मीणा निवासी पाटीया

3 पीडब्लयु–3– श्री धुला पिता लक्सी ताबियाड जाति मीणा निवासी पाटीया

उक्त बयानो मे बताया की वादीगण गांव पाटीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 16 गांव धनोरा के स्थायी निवासी है। वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भुमि मौजा पाटीया में स्थित हाल जमाबंदी खाता संख्या 75 खसरा नम्बर 29 खेत किता 1 कुल रकबा 01.04, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.11 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.15 बीघा भुमि होकर स्थित है पर बंटवारे के अनुसार हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण अपने कब्जे की विरासती खातेदारी आराजी में फसल बुवाई कर खेती बाडी का कार्य कर रहे थे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 ने जबरन प्रवेश कर झंगडा फिसाद कर फसल को नष्ट कर दिया। जबरन वादीगण के कब्जे की भुमि पर टापरा बना दिया जिस पर वादीगण फौजदारी कार्यवाही कर हटवाया। उसके बावजुद प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 वादीगण के कब्जे काश्त की कॉलम संख्यां 2 में अंकित आराजी में जबरन घुसकर हडपने की नियत से मकान निर्माण को लेकर सामग्री डालकर मकान निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जिस पर वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण संख्सा 1 से 16 ने जबरन विवाद उत्पन्न झंगडा फंसाद शुरू कर दिया। वादीगण उक्त आराजी विरासती आराजी होकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम वारिसदार होने दर्ज होने की बात करने पर भी प्रतिवादीगण 1 से 16 की निती में खोट आने से जबरन हडपने की धमकी देने लगे जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादीगण को विरासती भुमि मौजा पाटीया में स्थित हाल जमाबंदी खाता संख्या 75 खसरा नम्बर 29 खेत किता 1 कुल रकबा 01.04, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.11 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.15 बीघा भुमि में वादीगण को काश्त करने में रूकावट पैदा न तो स्वयं करने न ही अपने मित्र एजेण्ट से करावे। वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

1 प्रदर्श– 1 संवत 2071–2074 की हाल जमाबंदी

2 प्रदर्श– 2 नक्शा टेस

3 प्रदर्श– 3 संवत 2071–2074 की पटवारी हस्तलिखित जमाबंदी

4 प्रदर्श– 4 खसरा गिरदावरी

विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी वकील वादीगण ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की वादीगण गांव पाटीया व प्रतिवादी संख्या 1 से 16 गांव धनोरा के स्थायी निवासी है। वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भुमि मौजा पाटीया में स्थित हाल जमाबंदी खाता संख्या 75 खसरा नम्बर 29 खेत किता 1 कुल रकबा 01.04, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.11 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.15 बीघा भुमि होकर स्थित है पर बंटवारे के अनुसार हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण अपने कब्जे की विरासती खातेदारी आराजी में फसल बुवाई कर खेती बाडी का कार्य कर रहे थे।

क्रमशः पेज 4 पर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 ने जबरन प्रवेश कर झंगडा फिसाद कर फसल को नष्ट कर दिया। जबरन वादीगण के कब्जे की भुमि पर टापरा बना दिया जिस पर वादीगण फौजदारी कार्यवाही कर हटवाया। उसके बावजुद प्रतिवादीगण संख्या 1 से 16 वादीगण के कब्जे काश्त की कॉलम संख्या 2 में अंकित आराजी में जबरन घुसकर हडपने की नियत से मकान निर्माण को लेकर सामग्री डालकर मकान निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जिस पर वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण संख्सा 1 से 16 ने जबरन विवाद उत्पन्न झंगडा फंसाद शुरू कर दिया। वादीगण उक्त आराजी विरासती आराजी होकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम वारिसदार होने दर्ज होने की बात करने पर भी प्रतिवादीगण 1 से 16 की निती में खोट आने से जबरन हडपने की धमकी देने लगे जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादीगण को विरासती भुमि मौजा पाटीया में स्थित हाल जमाबंदी खाता संख्या 75 खसरा नम्बर 29 खेत किता 1 कुल रकबा 01.04, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.11 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.15 बीघा भुमि में वादीगण को काश्त करने में रूकावट पैदा न तो स्वयं करने न ही अपने मित्र एजेण्ट से करावे। वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपस्थित साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रदर्श 1 से 4 से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण खातेदार काश्तकार है। ओर खातेदारी काश्तकार अपने खातेदारी आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। तथा गवाहों के साक्ष्य यह साबित होता है। कि प्रतिवादीगण वादी की आराजी में जबरन कब्जा करने के लिए विवाद करते है। तथा वादी को काश्त में रूकावट पैदा करते है। ऐसे में प्रतिवादीण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे। तथा प्रतिवादीगण द्वारा जबरन विधि विरूद्ध मकान निर्माण के लिए भरी गई नींच को ध्वस्त कर हटाया जाना व कब्जा वादीगण को दिया जाना उचित समझताहूं।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भुमि मौजा पाटीया में स्थित हाल जमाबंदी खाता संख्या 75 खसरा नम्बर 29 खेत किता 1 कुल रकबा 01.04, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.11 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.15 बीघा भुमि होकर स्थित तथा ऐसे में प्रतिवादीण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे। तथा प्रतिवादीगण द्वारा जबरन विधि विरूद्ध मकान निर्माण के लिए भरी गई नींव को ध्वस्त कर हटाया जाना व कब्जा वादीगण को दिया जाना उचित समझता हूं। डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे

10.7.2019
मणीलाल तीरगर
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 10.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.7.2019
मणीलाल तीरगर
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजर कोड, एपेन्डियस डी–1)

ज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

जलास श्री उपखंड अधिकारी मणीलाल तीरगर सीमलवाडा

ो जशोदा बनाम श्री सवजी

द बाबतः– स्थायी निषेधाज्ञा 88, 188 व 209 राज.टी. एक्ट व सपठित धारा 151 व 212 जा.दी

कदमा नम्बरः– 07 / 2019

ह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :– श्री मणीलाल तीरगर

हाजरी :– गौतमलाल रोत मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलाह एकपक्षीय बहस सुनी

ई पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है किः–

मौजा पाटीया में स्थित हाल जमाबंदी खाता संख्या 75 खसरा नम्बर 29 खेत किता 1 कुल रकबा 01.04, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.11 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.15 बीघा भुमि होकर स्थित तथा ऐसे में प्रतिवादीण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे। तथा प्रतिवादीगण द्वारा जबरन विधि विरूद्ध मकान निर्माण के लिए भरी गई नींव को ध्वस्त कर हटाया जाना व कब्जा वादीगण को दिया जाना उचित समझता हूं।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 10.07.2019 को जारी की गई।

दस्तखत. 10.7.2019

ओहदा . . उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा मु. धम्बोला

मुदई	रूपया / पेसा	मुदायलाह	रूपया / पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजेह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

Scanned by CamScanner